संख्या: 23/2015/1474/पैंतीस-2-2015-3/39(36)/13

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर, 2015

विषय- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए धनराशि की मांग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 933/ले0-33/2011, दिनांक 20.10.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु धनराशि रू0 1,97,50,000/- की मांग विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

2- आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त नियोजन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या: 1474/पैतीस-2-2015, दिनांक 20.11.2015 द्वारा अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-05-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 1,97,50,000/- की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	मानक मद	धनराशि (रूपये में)
1	04-यात्रा व्यय	20,00,000/-
2	07-मानदेय	1,00,00,000/-
3	08-कार्यालय व्यय	15,00,000/-
4	11-लेखन सामग्री	5,00,000/-
5	15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण/पेटोल की खरीद	10,00,000/-
6	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7,50,000/-
7	18-प्रकाशन	10,00,000/-
8	44-प्रशिक्षण एवं यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30,00,000/-
	योग	1,97,50,000/-

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी प्रणाली मे सुधार हेतु अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के मध्य प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त कुल धनराशि रू0 28.00 करोड के सापेक्ष रू0 25,26,69,445/- व्यय होने के उपरान्त अवशेष बची धनराशि रू0 2,73,30,555/- में से रू0 1,97,50,000/- का व्यय योजनान्तर्गत अवशेष देनदारियों को निस्तारित किये जाने हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपर्युक्तानुसार मानक मदों में कुल धनराशि रू0 1,97,50,000/- (रू0 एक करोड़ सन्तानबे लाख पचास हजार मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में उल्लिखित शर्तें एवं प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है। अतः व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार की तेरहवें वित्त आयोग की अनुमोदित मदों/गाइडलाइन्स के अनुरूप किया जाय।

9- बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 का अनुपालन स्वीकृत किया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-05-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अर्न्तगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः 23/2015/1474(1)/पैतीस-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्योजन विभाग

(बजट मैनुअल का प्रस्तर--158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे के अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–40, ~~अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश~~ वित्तीय वर्ष: 2015–2016 (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संकमण		वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा			
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आदवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सॉख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सॉख्यिकी–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्र प्रयोजित योजनायें–0102–छठी आर्थिक गणना का कियान्वयन (केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति)					
07–मानदेय	100000	19750	19750	19750	80250
योग	100000	19750	19750	19750	80250

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण		वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा			
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सॉख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सॉख्यिकी–आयोजनेत्तर–001–निदेशन एवं प्रशासन–05–तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सॉख्यिकी प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान					
04–यात्रा व्यय	0	2000	2000	2000	2000
07–मानदेय	0	10000	10000	10000	10000
08–कार्यालय व्यय	0	1500	1500	1500	1500
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0	500	500	500	500
15–मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	0	1000	1000	1000	1000
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	750	750	750	750
18–प्रकाशन	0	1000	1000	1000	1000
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0	3000	3000	3000	3000
योग	0	19750	19750	19750	19750

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–
प्रगणन खण्डों की संख्या में कमी हो जाने के कारण।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–
तेरहवें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत अवशेष देनदारियों के निस्तारण हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर3 ई–153 संख्या:–ई.–5 1303 /दस–2015, दिनांक 16.11.15

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर.................
नाम व पद नाम– (कृष्ण कान्त अस्थाना)
प्रशासकीय विभाग–उप सचिव, नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

हस्ताक्षर.................
नाम व पद नाम– (उमा द्विवेदी)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी प्रणाली मे सुधार हेतु अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार

संख्या–1474/35–2–2015 . दिनांक:लखनऊ:20 अक्टूबर ,2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय सॉख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।
7– नियोजन अनुभाग–1,उत्तर प्रदेश शासन।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर..................
नाम व पद नाम–(कृष्णकान्त अस्थाना)
प्रशासकीय विभाग– उप सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>अनुदेश</u>

(1) प्रत्येक अनुदान / विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में शब्द "भारित" अंकित कर दिया जाय।

(2) जिन लेखा शीर्षों में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन ब्यौरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।

(3) कालम–2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनॉक तक संबंधित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाय।

(4) प्रपत्र के कालम–5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

संख्या–1474/35–2–2015   दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 30 नवम्बर ,2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय सॉंख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।
7– नियोजन अनुभाग–1,उत्तर प्रदेश शासन।
8– गार्ड फाइल।

02-11-15

आज्ञा से,

हस्ताक्षर..................

नाम व पद नाम–(कृष्णभानु अस्थाना)

प्रशासकीय विभाग– उप सचिव,

नियोजन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

2.11.11

अनुदेश

(1) प्रत्येक अनुदान / विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में शब्द "भारित" अंकित कर दिया जाय।

(2) जिन लेखा शीर्षों में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन ब्यौरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।

(3) कालम–2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनॉक तक संबंधित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाय।

(4) प्रपत्र के कालम–5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।